Uttarakhand Jal
Sansthan

15 Reforms undertaken by Uttarakhand Jal Sansthan

15.1 Mandate for only-online submission for application for Water Connection

The Uttarakhand Jal Sansthan, Government of Uttarakhand has mandated that applications for Water Connection be availed only through the online mechanism. The Department has also mandated that these services be provided through the online portal without any hard copy processes and physical touchpoints.

The online portal allows the submission, fee payments and approvals to be done in a completely online manner.

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177
E.mail-cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी ब्लॉक,नेहरू कालोनी,देहरादून–248001

पत्रांक 5466 /अप्रैजल–03/ एकल खिडकी व्यवस्था/2017-18 दिनांक: 25/10/17

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः– Ease of Doing Business कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के पत्रांक 5327 /अप्रैजल–03/ एकल खिडकी व्यवस्था/2017-18 दिनांक: 12.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिससे मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1335/ VII-2-16/66–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11.08.2016 से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल खिडकी व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी से प्राप्त होने वाले जल संयोजनों के आवेदनो का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में उल्लेख करना है कि उद्यम विभाग द्वारा औद्योगिक जल संयोजनों के आवेदन हेतु वैबसाईट investuttarakhand.com तैयार की गयी है, जिस वैबसाईट के माध्यम से उद्योगो द्वारा जल संयेाजन हेतु आवेदन किया जायेगा। आवेदित जल संयोजन स्वतः ही विभागीय बिलिंग वैब साईट ujsbill.uk.gov.in/auth/main/login.aspx पर प्राप्त होगा, जिस पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लॉगिन कर आवेदित औद्योगिक जल संयोजन पर कार्यवाही करेगें।

उक्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक जल संयोजनो के आवेदनो को उद्यम एकल खिडकी के माध्यम से ही ऑन लाईन प्राप्त किया जाये तथा प्राप्त आवेदनो को नियत समय सीमा के अन्तर्गत ऑन लाईन निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

(एस0के0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान....................................।
2. सचिव,प्रशासन,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.....................................।
4. गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177
E.mail-cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी ब्लॉक,नेहरू कालोनी,देहरादून–248001

पत्रांक 5327 /अप्रैजल–03/ एकल खिडकी व्यवस्था/2017-18 दिनांकः 12.10.17

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः– Ease of Doing Business कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1335/ VII-2-16/66–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11.08.2016 से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल खिडकी व्यवस्था हेतु आदेश पारित हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। एकल खिडकी व्यवस्था हेतु शासन द्वारा वैबसाईट investuttarakhand.com तैयार की गयी है जिस पर Ease of Doing Business कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप में पारित निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी से प्राप्त होने वाले जल संयोजनों के आवेदनो का त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(एस0के0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान...................................।
2. सचिव,प्रशासन,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान...................................।
4. गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक

15.2 Notify customers of change in tariff ahead of the billing cycle (for commercial and industrial users)

The Uttarakhand Jal Sansthan, Government of Uttarakhand has mandate to display information on tariffs (in Rs. per kL) over Uttarakhand Jal Sansthan website and notify customers of change in tariff ahead of the billing cycle (for commercial and industrial users)

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177
E.mail-cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी0ब्लॉक,नेहरू कालोनी,देहरादून–248001

पत्रांक :– 8848 /मु0म0प्र0/ /कार्यालय आदेश/ 2018-19 दिनांक: 26/03/19

कार्यालय आदेश

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को विभागीय टैरिफ एवं समय–समय पर टैरिफ में होने वाले संशोधनों से अवगत कराया जाना प्राविधानित है।

अतः आदेशित किया जाता है कि विभागीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को विभागीय टैरिफ तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की सूचना विभागीय बेवसाईट एवं अधिसूचना के माध्यम से दी जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(एस0के0शर्मा)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0एवं दिनांक तदैवः–
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून (टी0आर0एम0)/मुख्यालय।
2. सचिव,प्रशासन/अप्रैजल, उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
3. व0लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।

मुख्य महाप्रबन्धक